कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट

पत्रांक/ 867-70 /2020-21 दिनांक : 27/05/20

विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-स0शि0अ0नि0का0/538/2020-21 लखनऊ दिनांक 26.05.2020 के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा- 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निम्नवत् कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

चरण	आवेदन करने की तिथियाँ	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि	लाटरी निकालने की तिथि	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
प्रथम	02 मार्च 2020 से 02 जून 2020	03 जून 2020 से 05 जून 2020	08 जून 2020	10 जुलाई 2020
द्वितीय	10 जून 2020 से 10 जुलाई 2020	11 जुलाई 2020 से 13 जुलाई 2020	15 जुलाई 2020	30 जुलाई 2020

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

1. अलाभित समूह- राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनु0जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 तथा कैंसर से पीड़ित माता-पिता अथवा अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है।
2. दुर्बल वर्ग- दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिनके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, दिव्यांग/वृद्धावस्था/ विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 1,00,000 (एक लाख) तक है, को रखा गया है।
3. आवेदन पत्र http://rte25.upsdc.gov.in पर लागिन करके आनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर रजिस्टर्ड करें तथा लागिन विकल्प चुनें और प्रक्रिया पूरी करें अथवा आफलाइन आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खण्ड शिक्षा अधिकारी से संस्तुति कराकर 02 सेट में जमा किया जा सकता है।
4. आवेदनकर्ता के पहचान हेतु निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, बैंक पासबुक आदि (कोई एक) होना चाहिये।
5. जाति प्रमाणपत्र, पेंशन पासबुक, दिव्यांग प्रमाणपत्र (कोई एक) होना चाहिये।
6. शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।
7. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र होना चाहिये।
8. विद्यालय में लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्यालय के शासनादेश की शर्तों में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
9. आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये।

उपरोक्तानुसार टाउन एरिया, नगर पालिका परिषद कर्वी में संचालित गैरसहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु दिये गये निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी छायाप्रति आवश्यक संलग्नकों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

सम्बन्धित शासनादेश एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप सर्वशिक्षा अभियान की वेबसाइट www.upefa.com पर उपलब्ध है।

(प्रकाश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
चित्रकूट

पृ0सं0 व दिनांक : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी,महोदय, चित्रकूट।
2. मुख्य विकास अधिकारी,चित्रकूट।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जनपद के समस्त सम्मानित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस आशय के साथ प्रेषित कि जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

27/05/2020

(प्रकाश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
चित्रकूट

Scanned with CamScanner